

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 21 दिनांक 25.10.2016

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट 49/1988 धाराएं 7 पी0सी0 एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन मंगलवार दिनांक से दिनांक 25.10.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 25.10.2016 समय 3:15 पी.एम.

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 7 समय 3:20 पी.एम.

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पेशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) दक्षिण पश्चिम लगभग 130 कि0मी0

(ख) पता : हरियाणा रोडवेज प्रशिक्षण केन्द्र महेन्द्रगढ

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- शहर महेन्द्रगढ

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : विवेकानन्द (ख) (पिता/पति का नाम) श्री महेन्द्र सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) पृथ्वीपुरा तहसील अटेली, जिला महेन्द्रगढ(नारनौल)

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. हरि सिंह ड्राईवर
2. हरियाणा राज्य परिवहन डिपो
3. चालक प्रशिक्षण केन्द्र महेन्द्रगढ

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक ओमप्रकाश PS SVB युनिट नारनौल बदस्त EASI अमर सिंह युनिट नारनौल बराये कायमी मुकदमा थाना मे प्राप्त हुई। जिसका विषय इस प्रकार से है, " सेवा मे निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो नारनौल श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि विवेकानन्द पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ का रहने वाला हूँ। मैने दिनांक 21.07.2016 से 24.08.2016 तक हरियाणा राज्य परिवहन डिपो महेन्द्रगढ मे चालक प्रशिक्षण केन्द्र की ट्रेनिंग करने का सर्टीफिकेट देने कि एवज मे हरि सिंह ड्राईवर ट्रेनिंग इन्चार्ज

ने 3000 हजार रूप्ये की रिश्वत कि मांग कि जो 2000 रूप्ये मैंने 23.10.2016 को रोडवेज ट्रेनिंग सेन्टर महेन्द्रगढ मे दे दिये और आज सट्ट्रिफिकेट देने की एवज में 1000 रूप्ये और मांग रहा है। मैं हस भ्रष्ट ट्रेनिंग इन्चार्ज को रिश्वत की राशी नहीं देना चाहता इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। हस्त अग्रेजी विवेकानन्द दिनांक 25.10.2016 मोबाईल नं0 08930398008 कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 25.10.2016 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय SVB नारनौल हूँ जो विवेकानन्द उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर उपरोक्त दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की जो मजबूत दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया गया। इसलिए यह लेख मुकदमा दर्ज करने के लिए बादस्त EASI अमर सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो नारनौल के थाना SVB Gurgaon भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करने नं0 पर्चा से इतहाल दी जाने तथा मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त स्पेशल वाहक सम्बन्धित अफसर बाला की सेवा मे भिजवाए जावे मन निरीक्षक मय ई0ए0एस0आई0 प्रकाश चन्द 13/रेवाडी ई0एच0सी0 हरपाल सिंह 289/रेवाडी बा सवारी गाडी सरकारी मय मुदई को हमराह लेकर आईन्दा खाना कार्यालय उपायुक्त महोदय नारनौल का होता हूँ। हस्त हिन्दी ओमप्रकाश निरीक्षक SVB नारनौल dt 25.10.2016 at 12:30 PM" अज थाना- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सुचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरानबाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल बादस्त EASI आरिन्दा व असल मिशाल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुँचाने हेतु इसी आरिन्दा EASI के हवाले की गई।



हस्ता हिन्दी/- रमेश कुमार  
थाना प्रभारी का नाम  
नाम : रमेश कुमार  
पद : निरीक्षक  
संख्या : 224